संख्या– /VI-2 /2011–71(6)2011

(12)

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 अप्रैल, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत गुरू शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के छः जनपदों में किये जाने तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2010 तथा आपके पत्र संख्या–85/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में संस्कृति विभाग के अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अवचनबद्ध मदों में धनराशि रू0 2500/–हजार (रू0 पच्चीस लाख) मात्र की धनराशि निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–00 (धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
0201–लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेंटेशन का कार्य 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1500	–
0203–अ0जा0 के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	–
योग –(रू0 पच्चीस लाख मात्र)	2500	–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का

.....(2)

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– प्रस्तावित कार्यशाला SCSP योजना के संचालन हेतु निर्धारित समस्त मानक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही योजनान्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक शिष्य अनुसूचित जाति होने चाहिए अथवा गुरू अनुसूचित जाति के हों। अभिलेखीकरण संघठक में कलाकार जिसके सम्बन्ध में अभिलेखीकरण किया जाना है, वे अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है। उपरोक्त स्थिति सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5–भारत के अन्तर्गत स्थापित सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा देश के विभिन्न भागों में लोक कला के संरक्षण,संवर्द्धन हेतु गुरू शिष्य परम्परा के अन्तर्गत कार्यशालायें आयोजित की की जाती है, इसी आधार पर संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड में भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 6 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इन कार्यशालाओं में रखे गये गुरूओं/संगतकर्ताओं एवं शिष्यों को भारत सरकार के सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय आदि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

6– योजना के अन्तर्गत विलुप्त हो रही कलाओं के लोक कलाकारों जिनकी विशिष्ट उपलब्धि रही हो, को गुरू बनाया जाये।

7– गुरू द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वयं शिष्यों का चुनाव कर उन्हें विधिवत् सम्बन्धित कला की शिक्षा प्रदान की जाये।

8– कार्यशाला हेतु शिष्यों की संख्या 10 से 15 तक होनी आवश्यक है, तथा प्रथम चरण में प्रत्येक कार्यशाला की अवधि 6 माह निर्धारित की जायेगी।

9– प्रत्येक कार्यशाला हेतु गुरू के द्वारा समय–समय पर कार्यशाला संचालन आख्या/ रिपोर्ट संस्कृति विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

10– कार्यशाला प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, मिलन केन्द्र जो सम्बन्धित गुरू के ग्राम में उपलब्ध हो में प्रारम्भ किया जाये।

11– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 309 के सुसंगत

.....(3)

प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

13– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

14– उक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थीवार सूची एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

15– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी।

16– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17– गुरू शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) का व्यय व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 लेखाशीषर्क–2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–00–0201–लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेंटेशन का कार्य–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेशभूषा के क्रय हेतु स्वीकृति की जा रही धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) मात्र अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–2205 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–00–0203–अ0जा0 के व्यक्तियों के लिए पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 421 /VI-2/2011–71(6)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।